

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 282 सन 2020

अनवान :-

1. मुन्शीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सत्यनारायण पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. अमीलाल पुत्र बिझाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. मांगेराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. जैतादेवी पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
4. शिशपाल पुत्र बिझाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
5. बद्रीप्रसाद पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
6. रोशनी पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
7. धापीदेवी पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्रय का पेश किया गया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 27/22 की कुल 8.5990 हैक व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 26/161 के खसरा न0 446 की 8.0180 हैक व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 737/710 की कुल 1.4920 हैक भूमिभूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1,4 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बीझाराम पुत्र जगमाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बीझाराम पुत्र जगमाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1,4 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1,4 जो वादी के पिता/चाचा है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीझाराम पुत्र जगमाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2,3,5 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1,4 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3,6 ता 7 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 3,6 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3,6 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2,4,5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2,4,5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2,4,5 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

वाद को स्वीकार करते हुए ईकवाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बीझाराम पुत्र जगमाल के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3, 6 ता 7 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकवाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकवाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 27/22 की कुल 8.5990 हैक् व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 26/161 के खसरा नं० 446 की 8.0180 हैक् व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 737/710 की कुल 1.4920 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बीझाराम पुत्र जगमाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बीझाराम पुत्र जगमाल के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1, 4 जो वादी के पिता/चाचा है के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीझाराम पुत्र जगमाल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1, 4 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3, 6 ता 7 वादी की बहने हैं एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 की पुत्री हैं प्रतिवादी संख्या 3, 6 ता 7 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 3, 6 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 4, 5 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2, 4, 5 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 27/22 की कुल 8.5990 हैक् एवं खाता संख्या 737/710 की कुल 12.6210 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2038 भु०प्रबन्ध विभाग के अनुसार वाद भूमि बीझाराम पुत्र जगमाल के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बीझाराम पुत्र जगमाल के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीझाराम पुत्र जगमाल के देहान्त होने के वाद विरास्तन

उपस्थित अधिकारी  
बोहर

से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पीते/पीतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 6 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 स्वयं उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकवाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 6 ता 7 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 27/22 की कुल 5990 हैक में वादी संख्या 1 अकेला 1.265 हैक, वादी संख्या 2 अकेला 1.265 हैक, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.265 हैक व प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.265 हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 दोनो 3.539 हैक बहिब रहेगी व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 26/616 के खसरा न0 446 की 8.0180 हैक में वादी संख्या 1 अकेला 1.265 हैक व प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.265 हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5.488 हैक रहेगी खसरा न0 674/1 की 4.6030 हैक भूमि वादी संख्या 2 अकेला 1.265 हैक व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.265 हैक व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 2.073 हैक रहेगी व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 737/710 की कुल 1.4920 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एवं 4 हिस्से यथावत रहेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बेक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जावा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड उपस्थिति अधिकारी (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. मुन्शीराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सत्यनारायण पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. अमीलाल पुत्र विझाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
2. मांगेराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर।
3. जैतादेवी पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
4. शिशपाल पुत्र विझाराम जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
5. बद्रीप्रसाद पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
6. रोशनी पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
7. धापीदेवी पुत्री-शिशपाल जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जूरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 282 सन 2020 निर्णय दिनांक- 17/09/20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 27/22 की कुल 8.5990 हैक में वादी संख्या 1 अकेला 1.265 हैक, वादी संख्या 2 अकेला 1.265 हैक, प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.265 हैक व प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.2650 हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4-दोनो 3.539 हैक बहिब रहेगी व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 26/616 के खसरा नो 446 की 8.0180 हैक में वादी संख्या 1 अकेला 1.2650 हैक व प्रतिवादी संख्या 5 अकेला 1.2650 हैक एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 5.488 हैक रहेगी खसरा नो 674/1 की 4.6030 हैक भूमि वादी संख्या 2 अकेला 1.2650 है व प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1.2650 हैक व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब 2.073 हैक रहेगी व रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 737/710 की कुल 1.4920 हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 एवं 4 हिस्से यथावत रहेगे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/09/20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )